दूरभाष संख्या : 0522–2720856
फैक्स नं0 : 0522–2720857

कार्यालय विद्युत लोकपाल
2/475, विभव खण्ड गोमती नगर
लखनऊ

क्रमांकः 523/वि0लोकपाल/ दिनांक 16–08–2007

अध्यक्ष,
उ0प्र0विद्युत नियामक आयोग
किसान मंडी भवन,
लखनऊ।

प्रमुख सचिव,ऊर्जा,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

विषय : छमाही रिपोर्ट

महोदय,

विद्युत नियमावली 2005 की धारा 7 उपधारा 4(ख) के अनुपालन में 30जून,2007 तक की छमाही रिपोर्ट आपके अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है। शिकायत की प्रकृति तथा उनके निवारण में अनुज्ञप्तिधारी के प्रत्युत्तर की तालिका संलग्न की जा रही है।

2. तालिका से स्पष्ट है कि कई प्रकरणो में लाइसेंसी द्वारा विद्युत लोकपाल के निर्णय का अनुपालन समय से नहीं कराया जा रहा है। अधिकांश शिकायतें गलत बिलिंग से सम्बन्धित है।
3. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा गठित अंशकालिक उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम द्वारा निर्णित शिकायतो का अनुपालन अनुज्ञप्तिधारी के ही अधिशासी अभियन्ता प्रायः नहीं करते हैं जिसके कारण उपभोक्ताओं को विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रतिवेदन भी देना पड़ता है तथा उपभोक्ता धारा 142 के तहत जुर्माने की मांग भी करता है।
4. विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत अपीलो के निस्तारण में अनुज्ञप्तिधारी के अधिकारी अनेको बार सूचित करने के उपरांत भी अपना अपेक्षित सहयोग नहीं देते हैं जिसके कारण व्यथा का प्रभावी ढ़ंग से निस्तारण सम्भव नहीं हो पाता है।
5. विद्युत की गुणवत्ता से सम्बन्धित कार्यपालन के मानकों को प्राप्त करने में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आवश्यक रुचि नहीं दर्शायी जा रही है जिसके कारण उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति संहिता में निहित प्राविधानों का पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है।
6. अधिकांश 'उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम ' सक्रिय नही है तथा व्यथा निवारण में प्रचलित यू0पीई0आर0सी0(उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) विनियमावली 2003 का अनुपालन ठीक ढंग से नही कर रहे है। अनेकों मामलो का निस्तारण निर्धारित समय सीमा 2 मांह के अन्दर न करने के कारण उपभोक्ताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। विद्युत अधिनियम 2003

..........2/–

की धारा 42(5) एवं 42(6) के अर्न्तगत उपभोक्ताओं के अधिकारो हेतु 'गठित उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम', 'विद्युत लोकपाल' के गठन की सूचना का विद्युत बिलों मे छपवाने तथा व्यापक प्रचार – प्रसार, करने हेतु, आयोग / लोकपाल के अनेकों अनुस्मारकों के उपरान्त भी बहुत से अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा समुचित कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है।

7. प्रदेश के लगभग 1 करोड़ उपभोक्ताओं के व्यथा निवारण हेतु कुल 55 अंशकालिक फोरम गठित किये गयें है जिनमें से 14 फोरमों ने तो अभी तक आयोग/लोकपाल के समक्ष कभी प्रगति रिपोर्ट तक नहीं प्रेषित की है जिससे अनुमान है कि वे फोरम निष्क्रिय हैं। विगत छः माह के अन्दर फोरमों के समक्ष कुल 356 शिकायतें प्रस्तुत हुई हैं। 183 शिकायतों का निपटारा करने के उपरान्त जून 2007 के अंत में 252 शिकायतें लम्बित हैं। अनेको शिकायतकर्ता, अपनी व्यथा के निवारण हेतु 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986' के अधीन गठित फोरमो,उ0प्र0विद्युत नियामक आयोग तथा अन्य न्यायालयों मे भी परिवाद दाखिल कर रहे हैं।

8. विद्युत नियामक आयोग एवं विद्युत लोकपाल द्वारा 6 माह के अन्तराल में उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरमो के पीठासीन अधिकारियों तथा विधिक सदस्यो की बैठके बुलाई गई जिनमें विनियमावली के अनुसार मार्गदर्शन किया गया परन्तु अपेक्षित सुधार नहीं दिखायी पड़ रहा है।

9. सम्बन्धित कम्पनियों को विद्युत आपूर्ति संहिता तथा कार्यपालन के मानको (Standards of performance) को प्राप्त करने के लिए भी शीघ्र प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

अतएव वितरण अनुज्ञप्तिधारी के फोरमो को पुनर्गठित एवं सक्रिय बनाने तथा फोरम तथा लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण की प्रतिक्रिया में अपेक्षित सुधार लाये जाने की आवश्यकता है।

संलग्नक : यथोपरोक्त

भवदीय,

(आर0 डी0 पाल)
विद्युत लोकपाल

1 जनवरी,2007 से 30 जून,2007 तक विद्युत लोकपाल कार्यालय में प्राप्त अपीलो के निस्तारण का विवरण

क0 सं0	अपील संख्या	अपीलकर्ता	प्रत्यर्थी	शिकायत की प्रकृति	वाद/निस्तारण की तिथि	प्रत्युत्तर
1	2	3	4	5	6	7
1	29/06	विपिन मेहता पुत्र श्री ए0एन0मेहता, 120/347 लाजपत नगर, कानपुर।	सहायक महाप्रबन्धक (केस्को) सर्वोदय नगर, वितरण खण्ड, सर्वोदय नगर, कानपुर एवं अन्य।	स्थाई विच्छेदन के उपरान्त अन्तिम बिल निर्गत न कर के लगातार विद्युत बिलों को प्रेषित करने से सम्बन्धित।	13–4–2007	अनुपालन हो गया है।
2	31/06	मो0सरफराज पुत्र–स्व हाजी अब्दुल हमीद (पार्वा) गली मस्जिद इमलियान के सामने पूर्वा अब्दुल वाली, मेरठ।	अधिशासी अभियन्ता, वि0न0वि0खण्ड–प्रथम प0वि0वि0नि0लि0, घंटाधर, मेरठ एवं अन्य।	स्थाई विच्छेदन के पश्चात् एक मुश्त योजना का लाभ।	28–2–2007	फोरम द्वारा निर्णित
3	32/06	न्यू शान्ती होटल, 7 शिवचरन लाल रोड, इलाहाबाद।	अधिशासी अभियन्ता पू0वि0वि0नि0लि0, वि0वि0खण्ड, रामबाग, इलाहाबाद एवं अन्य।	विद्युत भार कम करने सम्बन्धी	26–6–2007	अनुपालन आख्या प्राप्त नहीं हुई

1	2	3	4	5	6	7
4	33/06	रमेश चन्द्र जाटव, गॉव व डा0–कुरसण्डा सादाबाद, जिला–महामायानगर (हाथरस)	अधीक्षण अभियन्ता/पीठासीन अधिकारी, उ0व्य0नि0फोरम, द0वि0वि0नि0लि0, मथुरा रोड, हाथरस।	नलकूपों के विरूद्ध अधिक भार के बिल भेजे जाने के सम्बन्ध में।	24–3–2007	फोरम द्वारा निर्णित
5	36/06	नन्द लाल पुत्र स्व0 सत्यनारायण ग्राम कमालपुर परगना महाईच, चन्दौली।	अधिशासी अभियन्ता पू0वि0वि0नि0लि0, वि0वि0खण्ड, चन्दौली।	गलत बिल निर्गत करने के सम्बन्ध में।	26–4–2007	अनुपालन हो गया है।
6	37/06	राकेश गुप्ता पुत्र श्री आर0सी0गुप्ता, पता–डी0 385 डिफेन्स कालोनी, जाजमऊ, कानपुर	सहायक महाप्रबन्धक कैस्को हैरिशगंज, कानपुर एवं अन्य।	विद्युत संयोजन जोड़ा नहीं गया परन्तु लाइसेंसी द्वारा बिल निर्गत किये जाते रहे।	29–6–07	अपील निरस्त की गई ।
7	38/07	जितेन्द्र आचार्या (आई0डी0एस0ई0) अधि0अभि0(एस0जी0) गैरिशन इंजीनियर(एयर फोर्स) एम0ई0एस0, पोस्ट–कूड़ाघाट, गोरखपुर।	अधिशासी अभियन्ता वि0वि0खण्ड–प्रथम, मोहद्दीपुर गोरखपुर एवं अन्य।	गलत टैरिफ में बिल बनाने के सम्बन्ध में।	18–1–2007	उपभोक्ता को नियमानुसार गोरखपुर फोरम में वाद के निस्तारण के लिये प्रेषित किया गया।

1	2	3	4	5	6	7
8	39/06	राज कुमार शुक्ला निवासी–127/370 साकेत नगर, कानपुर।	उप महाप्रबन्धक कैस्को, नौबस्ता कानपुर।	काल्पनिक गणना पर अधिक विद्युत बिल भेजने के सम्बन्ध में।	लम्बित	यह वाद नियामक आयोग से प्रेषित किया गया है। सुनवाई चल रही है।
9	40/06	अब्दुल रईस शाह, पुत्र श्री अब्दुल अजीज शाह, 116/418–ए रावमपुर कानपुर।	उप महाप्रबन्धक कैस्को, 14/71 सिविल लाइन, कानपुर	विद्युत देय वसुली स्थगन आदेश देने के सम्बन्ध में।	31–3–2007	अपील अस्वीकार
10	41/06	मे0 दर्पण सिनेमा, 399–ए, मुट्ठीगंज इलाहाबाद।	अधिशासी अभियन्ता, वि0न0 वि0खण्ड, पू0वि0वि0नि0लि0, रामबाग, इलाहाबाद।	गलत बिलिंग ।	26–4–2007	अनुपालन हो गया है।
11 .	42/06	मे0 राज आइरन फाउन्डरी, 26/1 सुलतांनगंज , आगरा।	अधिशासी अभियन्ता, न0वि0वि0ख0–तृतीय जमुना बैक पावर हाउस, द0वि0वि0नि0लि0, आगरा एवं अन्य।	पी 0डी0 फाइनल करने के सम्बन्ध में।	20–3–2007	अनुपालन हो गया है।
12	43/06	श्री प्रशान्त भार्गव, 257,गोलागंज लखनऊ।	अधिशासी अभियन्ता, वि0न0वि0 खण्ड, रेजीडेन्सी, लेसा, म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ।	राजस्व निर्धारण को निरस्त करने के सम्बन्ध में।	27–12–2006	नियामक आयोग द्वारा अपील निस्तारित
13	1/07	राम नेवाज पाल,पुत्र श्री पूदन पाल नयामाल गोदाम रोड़ प्रतापगढ़।	अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, प्रतापगढ़।	पी0डी रिपोर्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में।	–	फोरम ने आग्रह किया है कि इसका निस्तारण निकट भविष्य मे कर दिया जायेंगा।

1	2	3	4	5	6	7
14	2/07	श्रीमती पूनम सूद पत्नी श्री विजय कुमार सूद नि0जे0 371/1 नारायण प्लाजा सिविल लाइन, झॅासी।	अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, झॅासी।	पीठासीन अधिकारी एवं विधिक सदस्य में मतैव्य न होने के कारण ।	17–4–2007	अनुपालन हो गया है।
15	3/07	श्री सुशील कुमार रूसिया, 40/2 चन्द्रशेखर आजाद नगर, झॅासी।	अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, झॅासी।	पीठासीन अधिकारी एवं विधिक सदस्य में मतैव्य न होने के कारण ।	17–4–2007	अनुपालन हो गया है।
16	4/07	समतल कलर लि0,ग्राम–छपरौला ,बुलन्दशहर रोड़, गाजियाबाद।	अधिभयन्ता विद्युत वितरण खण्ड–पंचम, गाजियाबाद।	विलिंग के सम्बन्ध में।	30–6–2007	अनुपालन आख्या अपेक्षित
17	5/07	योगेश कुमार अग्रवाल,21/7 हाता प्यारेलाल नगर, झॅासी।	अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, झॅासी।	पीठासीन अधिकारी एवं विधिक सदस्य में मतैव्य न होने के कारण ।	17–4–2007	अनुपालन आख्या अपेक्षित
18	6/07	अनिल कुमार जायसवाल,आत्मज श्री विश्वनाथ जायसवाल 31/17 घुमनी बजार, कानपुर।	सहायक महाप्रबन्धक केस्को ,फूलबाग, कानपुर।	गलत ठग से बिलिंग करने के सम्बन्ध में।	26–6–2007	अपील निरस्त की गई।
19	7/07	श्रीमती कुसमा देवी, 634 अशोक नगर काल्याणपुर कानपुर।	सहायक महाप्रबन्धक, केस्को, कल्याणपुर कानपुर।	फोरम के आदेशों का पालन न किया जाना ।	27–6–2007	अनुपालन हो गया है।

1	2	3	4	5	6	7
20	11/07	अनिल कुमार हाण्डा मे0 प्रयाग आइस फैक्ट्री एण्ड कोल्ड स्टोरेज 252/215 ए नई बस्ती कृष्णा नगर कीडगंज इलाहाबाद।	अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड,राम बाग, इलाहाबाद।	लइसेंसी और उपभोक्ता में अस्थाई कनेक्शन के विद्युत बिल के सम्बन्ध में।	27–6–2007	अनुपालन आख्या अपेक्षित।
21	14/07	मो0 शोएब,कन्हई हनुमानगंज, प्रतापगढ़	अधिशासी अभियन्ता,विद्युत वितरण खण्ड,प्रतापगढ़	स्थाई विच्छेदन के बाद भी बिलो को निर्गत किया जाना	26–6–2007	अनुपालन हो गया